

कार्यालय : बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, समस्तीपुर ।
निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के विभिन्न पत्रों यथा- पत्रांक 5068, दिनांक 25.04.2011, पत्रांक 5291, दिनांक 14.06.2011, पत्रांक 366 दिनांक 19.03.2012, पत्रांक 1330 दिनांक 17.08.2012, पत्रांक 1366 दिनांक 28.08.2012 एवं पत्रांक 1430, दिनांक 13.09.2012 में निहित निर्देश के आलोक में मध्याह्न भोजन के खाद्यान का उठाव एवं वितरण हेतु समस्तीपुर जिला अन्तर्गत दलसिंहसराय, उजियारपुर, पटोरी, मोरबा, रोसड़ा, वारिसनगर, हसनपुर, समस्तीपुर, सरायरंजन कुल नौ (9) प्रखण्डों में संवेदक चयन हेतु इच्छुक आवेदकों से निम्नलिखित शर्तों पर मुहरबन्द निविदा आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा समाहरणालय, समस्तीपुर पुस्तकालय कक्ष में निविदा प्राप्ति हेतु रखे गये सीलबंद ड्रॉप बॉक्स (बक्सा) में दिनांक 05-01-2016 ...के पूर्व/अपराह्न...2:00...बजे तक कार्यालय अवधि में डाला जा सकता है। निविदा डालने की अंतिम तिथि को ही जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अपराह्न 3:00...बजे चयन समिति, म0भो0यो0, समस्तीपुर के सदस्यों के समक्ष निविदा खोला जाएगा। लिफाफे के उपर आवेदित प्रखण्ड का नाम जिसके लिए निविदा डाला गया है, मोबाईल संख्या एवं दै-मेल पता अनिवार्यरूपेण लिखा होना चाहिए। निविदा की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. कोई भी चयनित जन प्रतिनिधि एवं जन वितरण प्रणाली के डीलर संवेदक के रूप में चयनित नहीं किए जाएंगे।
2. एक निविदादाता को एक ही प्रखंड के लिए निविदा देना होगा।
3. मुहरबंद लिफाफे के उपर आवेदित प्रखंड का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. प्रखण्ड- दलसिंहसराय, उजियारपुर, पटोरी, मोरबा, रोसड़ा, वारिसनगर, हसनपुर, समस्तीपुर, सरायरंजन प्रखण्डों हेतु मात्र 8 (आठ) ट्रेक्टर/पीकअप वाहन होना चाहिए। उक्त वाहन निर्जा/अन्य मालिकों का हो सकता है। निजी वाहन की स्थिति में उक्त वाहन परिवहन कार्यालय द्वारा निविदादाता के नाम पर निवधित होना चाहिए। अर्थात् निविदा में डाले गये वैसे वाहन जिसका निबंधन (ओनर बुक) निविदादाता के नाम पर होगा उसी वाहन को निविदादाता के निजी वाहन के रूप में मान्य किया जाएगा।

यदि निविदादाता निजी वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहनो पर निविदा डालते हैं तो उन्हें वाहन के मालिकों का लिखित एकरारनामा (रु0 1000.00/- के गैर न्यायिक स्टॉप पर) मूल रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। एकरारनामा में यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा चाहिए कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक उक्त वाहन को मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान के उठाव एवं वितरण हेतु आवश्यकतानुसार संवेदक को उपलब्ध कराएंगे।

सभी वाहनों का पंजीयन व्यावसायिक श्रेणी में ट्रॉली सहित (ट्रेक्टर के संदर्भ में) आवश्यक है। वाहनों का टैक्स टोकन, परमिट एवं बीमा, फिटनेस एवं प्रदूषण अद्यतन होने के साथ-साथ वाहनों के चालक के पास व्यावसायिक चालक अनुज्ञप्ति संबंधी प्रमाण-पत्र होना चाहिए और इन सभी कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. प्रखण्डों के लिए आवश्यक निर्धारित वाहन से अधिक वाहन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात् किसी प्रकार का Weightage नहीं दिया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक वाहनों की अहर्ता पूर्ण होने की स्थिति में वैसे व्यक्तियों को


Sw

प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास अपना निर्मा ट्रेक्टर/पिक-अप वाहन ज्यादा हो। इसके बाद भी सभी अर्हताएँ समान होने पर चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।


6. एक वाहन का एकरारनामा एक ही निविदादाता के साथ होना अनिवार्य होगा। यदि उक्त वाहन का एकरारनामा एक से अधिक निविदादाता के साथ पाया जाता है तो उक्त सभी निविदादाता का एकरारनामा रद्द माना जाएगा।
7. दिनांक ..05-01-16....को निविदा खोलने के समय अपराह्न.....03.....बजे सभी निविदादाताओं को निविदा में दिए गये सभी वाहनों से संबंधित सभी मूल कागजात एवं अभिलेख (यथा- निबंधन पुस्तिका, परमिट, टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण, बीमा एवं व्यावसायिक चालक अनुज्ञापित) भौतिक सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए अलग से किसी प्रकार का समय नहीं दिया जाएगा।
8. आवेदन-सह-बायोडाटा प्रपत्र पूर्णतः कम्प्यूटरकृत भरा होना चाहिए। विहित आवेदन में आवेदित प्रखण्ड का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना है। विहित प्रपत्र/आवेदन में आवेदित प्रखण्ड का नाम अंकित नहीं रहने की स्थिति में उस आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
9. प्रत्येक प्रखण्ड के लिए निविदादाता को 50,000/- (पचास हजार रु०) का बैंक गारंटी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, समस्तीपुर के पक्ष में जमा करना होगा।
10. निविदादाता को अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो, मूल रूप में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को 10,000/- (दस हजार रु०) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, समस्तीपुर के नाम से जमा करना होगा, जो सेवा जारी रहने तक मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय, समस्तीपुर में जमा रहेगा।
12. एकरारनामा वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिनांक 31.03.2016 तक) के लिए किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है। उठाव एवं वितरण में लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दण्ड लगाने के साथ-साथ सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत SIO के आधार पर प्रखण्ड साधन सेवा एवं संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान का उठाव करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधनसेवा एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि सभी प्रकार की व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। उठाव किए गए खाद्यान का वितरण उसी दिन संध्या तक करना अनिवार्य होगा। वितरण सूची का सत्यापन प्रखण्ड साधनसेवा द्वारा किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा प्रखण्ड के विद्यालयों में खाद्यान्न की प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने व वेब अप्लिकेशन से सत्यापन करने के उपरान्त परिवहन-सह-हथालन मद में 40/- (चालीस) रु० प्रति क्विंटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा।

✓

14. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारणवश खाद्यान्न के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति की राशि संवेदक से वसूल की जाएगी।
15. निविदादाता को निविदा के साथ पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति, वर्तमान का दो रंगीन फोटोग्राफ एवं विहित प्रपत्र में बायो डाटा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. विज्ञापन एवं विहित प्रपत्र में बायोडाटा समस्तीपुर जिले के बेवसाईट www.samastipur.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
17. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
18. चयनित संवेदक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, समस्तीपुर के साथ एकरारनामा करेंगे, जिसमें सभी अनुमान्य शर्तों के अनुरूप आवश्यक कागजात संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।


 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
 -सह-सचिव, जिला चयन समिति
 म0भ0यो0, समस्तीपुर।


 उप विकास आयुक्त
 समस्तीपुर।


 जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
 जिला चयन समिति,
 म0भ0यो0, समस्तीपुर।

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, समस्तीपुर ।

संवेदक चयन हेतु कम्प्यूटरीकृत आवेदन-सह-स्वघोषणा प्रपत्र का प्रारूप

1. आवेदित प्रखंड का नाम :-
2. आवेदक का नाम :-
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :-
4. जन्म तिथि :-
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :-
6. ईमेल आईडी (अनिवार्य) :-
7. स्थायी पता :-

हाल ही का एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

ग्राम/मोहल्ला पोस्ट :- प्रखंड

थाना :-, जिला:- :- पिन :-

8. पत्राचार का पता :-

ग्राम/मोहल्ला पोस्ट :- प्रखंड

थाना :-, जिला:- :- पिन :-

9. बैंक गारंटी संलग्न (हाँ/नहीं) :- ।

बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	बैंक गारंटी संख्या	बैंक गारंटी जारी करने की तिथि	बैंक गारंटी की राशि	बैंक गारंटी की समाप्ति की तिथि

10. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ/नहीं) :- ।

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट की राशि

11. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ/नहीं) :- ।

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का पदनाम	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	तीन माह के अंदर का है या नहीं

12. पैन कार्ड कि अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ/नहीं) :-

13. तीन माह के अंदर का दो रंगीन फोटो संलग्न (हाँ/नहीं) :-
(एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

14. निविदा में डाले गए वाहनों की विवरणी :-

निविदादाता के निजी वाहनों की विवरणी :-

क्र. सं.	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार (ट्रैक्टर पीकअप)	वाहन निबंधन संख्या	वाहन चालक का नाम	वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	फिटनेस की अंतिम तिथि	प्रदूषण की अंतिम तिथि	संबंधित वाहन के कागजात/अभिलेख
1											पृ सं. ... से ... तक
2											पृ सं. ... से ... तक
3											पृ सं. ... से ... तक
4											पृ सं. ... से ... तक
5											पृ सं. ... से ... तक
6											पृ सं. ... से ... तक
7											पृ सं. ... से ... तक
8											पृ सं. ... से ... तक

एकरारनामा वाले वाहनों की विवरणी :-

क्र. सं.	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार (ट्रैक्टर पीकअप)	वाहन निबंधन संख्या	वाहन चालक का नाम	वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	फिटनेस की अंतिम तिथि	प्रदूषण की अंतिम तिथि	संबंधित वाहन के कागजात/अभिलेख
1											पृ सं. ... से ... तक
2											पृ सं. ... से ... तक
3											पृ सं. ... से ... तक
4											पृ सं. ... से ... तक
5											पृ सं. ... से ... तक
6											पृ सं. ... से ... तक
7											पृ सं. ... से ... तक
8											पृ सं. ... से ... तक

15. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।
16. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दूकान नहीं है।
17. मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक/न्यायिक मामला है (हाँ/नहीं) :-
18. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, समस्तीपुर के साथ सभी अनुमान्य शर्तों के अनुरूप एकरारनामा करूँगा(हाँ/नहीं) :-
19. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :-
 (क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठों की संख्या (ऊपर से नीचे तक) :-।
 (ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठों की संख्या (नीचे से ऊपर तक) :-।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। आवेदन में वर्णित सभी वाहन व्यावसायिक श्रेणी में निबंधित है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात/अभिलेख फर्जी पाई जाती हैं तो विभाग संवेदक के रूप में मेरा चयन रद्द करते हुए मुझपर कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।

स्थान :-
 समस्तीपुर :-

आवेदक का नाम/ हस्ताक्षर
 एवं पूर्ण पता